झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा पंचम(बजट) सत्र

संख्या-22 गुरुवार, दिनांक-17 मार्च, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 02.15 बजे अप० तक।

मानीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- भूख से गरीब बच्चे की मौत सम्बन्धी अखबार में प्रकाशित समाचार के आलोक में माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित जिले के उपायुक्त पर कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया,

ii- माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी ने अपने द्वारा दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की माँग की जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं डॉ० ईरफान अंसारी ने भी किया। आसन द्वारा उन्हें संसूचित किया गया कि चूँकि इस विषय पर गृह विभाग से पूर्व में प्रश्नोत्तर प्राप्त है, अतएव नियमानुकूल नहीं होने के कारण प्राप्त प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया है।

इस दौरान झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांश माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त टोपी धारण कर एवं हाथों में पोस्टर लेकर स्थानीय नीति/नियोजन नीति लागू करो कहते हुए सदन की वेल में आ गये। आसन द्वारा उन्हें अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया गया, लेकिन स्थिति यथावत् कायम रही तदुपरांत पुनः उन्हें आसन द्वारा कहा गया कि **यदि माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर नहीं जाते हैं, तो मजबूरन सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जायेगी और इससे होनेवाले लाभ-हानि की जिम्मेवारी उन्हीं की होगी।**

इस क्रम में आसन के निदेश से सदन नेता सह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय नीति/नियोजन नीति के शीघ्र लागू किये जाने सम्बन्धी अपनी भावनाओं से सदन को अवगत कराया और माननीय विपक्षी सदस्यों से इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव भी माँगा गया तथा इसपर राजनीति नहीं किये जाने हेतु उन्होंने आग्रह भी किया।

माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा टोपी धारण किये जाने पर आसन द्वारा आपत्ति जतायी गई और इसे नियम के प्रतिकूल बताया गया, लेकिन नारेबाजी एवं हंगामा जारी रहा। अतएव अव्यवस्था को देखते हुए **सदन की कार्यवाही 11.29 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिये स्थगित** कर दी गई।

(स्थगनोपरांत)

मानीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की स्थिति यथावत् कायम हो गयी। इस क्रम में सत्तापक्ष के माननीय विधायक सर्वश्री राज सिन्हा, संजीव सिंह, बिरंची नारायण एवं अन्य विधायक भी अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर वेल में आ गये और

और विपक्ष के माननीय सदस्य भी इसी अंदाज में वेल में आकर नारेबाजी करने लगे तत्पश्चात् सदन में **''जय-जय झारखण्ड''** का नारा गूंजने लगा और भारी शोरगुल होने लगा। आसन द्वारा बारम्बार सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया, परन्तु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। अतएव सदन की कार्यवाही **पुनः -12.45 बजे अप० से 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।**

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(शोरगुल)

2. <u>सभा पटल पर प्रतिवेदन का रखा जाना</u>:-

माननीय सभापति, श्री राजकिशोर महतो द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 14वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

3.<u>विधायी कार्य</u>:-

(क) औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 से 26 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही शुक्रवार, **दिनांक- 18 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक के लिये स्थगित हुई।

राँची, दिनांक- 17 मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा।

—x— x —